	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र धा. 212 आर.टी.ए. का आदेश सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

प्रा. पत्र सं. 125/प्रा/15

दायरा दिनांक - 30.11.15

पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा R.A.S.

उनवान

1. तेजमल आयु ~~44~~ वर्ष आत्मज श्री रामनाथ जाति माली निवासी ग्राम अन्धेरा तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी - प्रार्थी

बनाम

1. चिमनलाल आयु 40 वर्ष
2. चुन्नीलाल आयु 35 वर्ष

पिसरान श्री भंवरलाल जाति माली निवासीगण शंकरपुरा, लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

3. कमलेश आयु 30 वर्ष आत्मज श्री भंवरलाल जाति माली निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक - 29.12.17

प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। ~~प्रार्थि~~ प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है- खाता सं. 79 पुरानी 77 की खसरा सं. 215 रकबा 2.30 है. व खाता सं. 80 पुरानी 78 की खसरा सं. 223 रकबा 0.80 है. वाके ग्राम [illegible]गंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी में स्थित है। [illegible] सं. नया 103 के खसरा सं. 758 रकबा 0.09 है., खसरा सं. 759 रकबा 0.29 है. खसरा सं. 760 रकबा 0.16 है. खसरा सं. 769 रकबा 0.23 है, खसरा

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

कृमशः...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सं. 771 रकबा 0.08 है, खसरा सं. 772 रकबा 0.26 है, खसरा सं. 773 रकबा 0.14 है, खसरा सं. 774 रकबा 0.30 है, खसरा सं. 776 रकबा 0.16 है. खसरा सं. 777 रकबा 0.10 है. कुल किता 10 खसरा नम्बरान की कुल रकबा 1.81 है. वाके ग्राम अनघोरा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि सुमेरगंजमण्डी में से मोती देवी पत्नि श्री केदारलाल गुजर व कंचन पत्नि श्री रामचन्द्र जाति गुजर को बेचान कर दी। अन्घोरा की कृषि भूमि पर राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती से कंचन पत्नि रामचन्द्र का नाम दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरस्त किया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थी का भाई शंकरलाल दिनांक 15.03.1996 को ला औलाद फौत हुआ। प्रार्थी ही शंकरलाल की सम्पूर्ण सम्पति का एकमात्र वारिस है। वादवर्णित आराजी की शंकरलाल के हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थी ही काबिज काश्त है। राजस्व अधिकारियों द्वारा शंकरलाल का फौती इंतकाल खोलते समय एक-मात्र प्रार्थी का नाम दर्ज ना करते हुए उसमे अन्य प्रतिवादीगण का नाम भी दर्ज कर दिये जिन्हे हटाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मृतक शंकरी व ग्यारसी के वारिसान का उक्त कृषि में कोई हिस्सा या हक अधिकार शेष नही है। प्रार्थी का ग्राम सुमेरगंज मण्डी की 4 बीघा व ग्राम अन्घोरा की 6 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। अन्घोरा की कृषि भूमि में प्रार्थी ने कुआ भी खुदवाया है। प्रार्थी अपने भाई भंवरलाल के समय से ही काबिज काश्त है जिसके [illegible] दोनो भाइयों द्वारा एक समझौता बंटवारा इकरारनामा [illegible] किया गया। कब्जा मुखालफ-ना के आधार पर भी प्रार्थी मृतक शंकरलाल के हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि का खातेदार कृषक हो गया है।

प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से राजस्व रिकार्ड दुरस्त करवाने

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का निवेदन किया। दिनांक 15.09.15 को प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार कर दिया गया। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने को आमदा है। अप्रार्थीगण ने इस हेतु प्रार्थी के हिस्से की अनघोरा की कृषि भूमि पर जबरन पत्थर भी डाल दिये है की जबरन निर्माण कार्य करने पर आमदा है। अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जाकाश्त की कृषि भूमि मे दखलंदाजी ना करने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाये प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे दखल नही करे व जबरन कब्जा करने की कोशिश नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 1 लगा 3 बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नियत पेशी पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली पर संलग्न जमाबंदी ग्राम खुरोजगाण्डी व ग्राम अन्घोरा की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी है। जो वर्तमान में शंकरलाल मृतक के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने को आमदा है। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः ——

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपूर्णीय क्षति तीनो प्रार्थी के पक्ष मे है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार से है –

प्रथम द्रष्टया मामला – पत्रावली के संलग्न जमाबंदी ग्राम अन्थोरा व ग्राम सुमेरगंजमण्डी की खाता सं. 103, 79 व 80 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद विषयक आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य लिया है कि ~~[illegible]~~ व शंकरलाल के खाते इंतकाल राजस्व अधिकारियो द्वारा गलत खोला गया है, यह तथ्य वाद के विचारण पर निर्णीत होगा। वर्तमान में प्रार्थी का विवादित आराजी पर स्वात्वाधिकार युक्त कब्जा देखा जाना है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र में यह तथ्य दिया है कि शंकरलाल के हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। शपथपत्र में अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने की आमदा होने का तथ्य दर्ज किया गया है। अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:54 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति – चूँकि प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है। अतः सुविधा का संतुलन व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं प्रार्थी ने तथ्य किया है कि ग्राम सुमेरगंजमण्डी की आराजी में मेड पडी है व ग्राम गन्धोर की जमीन में कुआ खुदवाया है। अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो ज्यादा असुविधा प्रार्थी को होगी व अपूर्णीय क्षति भी होगी।

अतः उक्त विवेचनोपरांत हम उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे व किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे व जबरन कब्जा करने की कोशिश नही करे।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner